



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुद्धकी, शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 ई० (फाल्गुन 26, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80, वसंत विहार फेज 1, देहरादून—248006

अधिसूचना

17 जनवरी, 2007

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपमोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की

नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी

मार्ग—दर्शिका) विनियम, 2007

संख्या एफ—९ (11) आर.जी./यूईआरसी/2007/814—भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के अधीन दिनांक 26.10.2006 को विद्युत नियम 2006 (संशोधित) अधिसूचित किए गये। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 की उपधारा (2) संपर्कित धारा 42 उपधारा (5) के अधीन जारी किये गए मार्ग निर्देशिका तथा उपरोक्त विनियम पूर्णतः अनुकूल है। आयोग द्वारा इससे पूर्व में निर्गत मार्ग दर्शिका, दिनांक 10—02—2004 को अधिसूचित किए गये हैं, एतद्वारा निरस्त किया जाता है और इस मार्गदर्शिका से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह मार्गदर्शिका दिनांक 10—02—2004 को अधिसूचित उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (उपमोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु मंच की स्थापना के लिए मार्ग—दर्शिका) विनियम, 2004 का अतिक्रमण एवं उसको प्रतिस्थापित करती है।

अध्याय 1—प्रारम्भिक

1. संस्कृत शीर्षक, प्रारम्भ तथा व्याख्या :

- (1) यह विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपमोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्ग दर्शिका) विनियम 2007 कहलायेगा।

यह विनियम दिनांक 20.01.2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य है।

- (2) यह विनियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
- (3) यह विनियम, वितरण लाइसेन्सधारी के उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण लाइसेंस क्षेत्र में लागू होगा।
- (4) यह विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ :

- (1) इन विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) “अधिनियम” का अर्थ है, विद्युत अधिनियम, 2003;
 - (ख) “आयोग” का अर्थ है उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग;
 - (ग) “शिकायतकर्ता” में निम्नलिखित का समावेश होगा—
 - (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (15) के अधीन परिभाषित विद्युत उपभोक्ता,
 - (ii) नये विद्युत संयोजन (कनेक्शन) हेतु आवेदक,
 - (iii) सोसाईटीज एक्ट, 1956 (1956 का 1) या तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत उपभोक्ता संघ, या
 - (iv) कोई भी अपंजीकृत उपभोक्ता संघ, जिसमें समान हित वाले उपभोक्ता हों;
 - (घ) “शिकायत” का तात्पर्य ऐसे पत्र अथवा प्रार्थना—पत्र से है जो विद्युत आपूर्ति/नये कनेक्शन के संयोजन अथवा वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं, लोड/मात्रा में परिवर्तन, मीटर से सम्बन्धित मामले, बीजक से सम्बन्धित मामलों को सम्मिलित करते हुए तथा ऐसे मामलों में जहाँ लाइसेन्सधारी ने आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक कीमत वसूल की है अथवा विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित/निर्धारित दर से अधिक खर्च वसूले हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच को प्रस्तुत किया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय इस विनियम के अधीन ‘शिकायत’ नहीं माने जायेंगे।

- (v) विद्युत का अनाधिकृत उपयोग, जैसा कि अधिनियम की धारा 126 में उपबंधित है,
- (vi) अपराध एवं शक्तियाँ जैसा कि अधिनियम की धारा 135 से 139 तक में उपबंधित है,
- (vii) वर्णित विद्युत—आपूर्ति/वितरण या विद्युत उपयोग के दौरान दुर्घटना, जैसा कि अधिनियम की धारा 161 में उपबंधित है, तथा
- (viii) ऐसे मामलों के बकाया की वसूली जहाँ विद्युत बिल पर कोई विवाद नहीं है।
- (ग) “वितरण लाइसेन्सधारी” का तात्पर्य ऐसे लाइसेन्सधारी से है जो सम्बन्धित लाइसेंस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के संचालन एवं रख—रखाव के लिए अधिकृत हो।
- (घ) “मंच” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) जिसे इस विनियम के साथ पढ़ा जाय, के अधीन वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु बनाया मंच जो उपरोक्त धारा के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले मंच से है।
- (ङ) “लाइसेन्स धारी का अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्सधारी के कार्यों के प्रबन्धन अथवा अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन हेतु पूर्ण कालिक अथवा अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उसे लाइसेन्सधारी द्वारा वेतन या मजदूरी अथवा मानदेय या बैठक फीस (सिटिंग फीस) अथवा किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक मुगतान किया जाता है।
- (2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय 2—उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु मंच

3. उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु मंच का गठन :

- (1) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेन्सधारी, इस विनियम के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक या अधिक, जैसा कि आयोग निर्धारित करे, मंच की स्थापना करेगा।
- (2) प्रत्येक मंच में निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले लाइसेन्सधारी के तीन अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा आयोग के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।
 - (क) मंच का न्यायिक सदस्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश अथवा सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी जिसे न्यूनतम 20 वर्ष का विधिक/न्यायिक क्षेत्र का अनुभव हो अथवा सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी जो कि जिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो, होगा।
 - (ख) तकनीकी सदस्य लाइसेन्सधारी के मुख्यालय में सेवारत अधिकारी जो कि महाप्रबन्धक से निम्न स्तर का न हो अथवा लाइसेन्सधारी कम्पनी का उसी श्रेणी का सेवा निवृत्त अधिकारी जो कि विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त हो तथा विद्युत वितरण से सम्बन्धित मामलों का 15 वर्ष का अनुभव रखता हो या किसी भी आई0आई0टी0 के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग या किसी सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का सेवा निवृत्त प्राध्यापक होगा।
 - (ग) उपभोक्ता सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जायेगा तथा यह ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसे विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं की पर्याप्त जानकारी और अनुभव हो।
- (3) उपरोक्त खण्ड 2 (ग) द्वारा नियुक्त उपभोक्ता सदस्य एवं एक और सदस्य मंच की बैठक का गणपूर्ति (कोरम) करेंगे।
- (4) आयोग वितरण लाइसेन्सधारी को मंच के किसी सदस्य को उपरोक्त खण्ड 2 (ग) के उपबन्धों से उपबंधित मंच की रचना और अहंता के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करने का आदेश दे सकता है यदि आयोग की राय में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समुचित एवं प्रभावशाली रूप से निवारण करने हेतु ऐसा प्रतिस्थापन आवश्यक है।
- (5) सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (6) वितरण लाइसेन्सधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मंच के किसी सदस्य का पद 30 दिवस से अधिक की अवधि के लिए रिक्त न रहे।
- (7) कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा और/या सदस्य बने रहने का हकदार नहीं रहेगा यदि वह निम्नांकित कारणों से अनर्ह समझा जाता है।
 - (क) दिवालिया दण्डित होने पर।
 - (ख) नैतिक अधमता को सम्मिलित करते हुए किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर।
 - (ग) शारीरिक या मानसिक रूप से, सदस्य के रूप में, कार्य करने में असमर्थ होने पर।
 - (घ) किसी वित्तीय या अन्य ऐसे हित लाभ प्राप्त होने पर जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।
- (ग) पद का ऐसा दुरुपयोग करने पर जिससे उसका पद पर बने रहना जनहित के विरुद्ध हो।
- (च) दुर्व्यवहार का दोषी होने पर।
- (छ) ऐसे कृत्य (कार्यों) का दोषी जो किसी भी न्यायिक अधिकारी अर्ध न्यायिक कार्यवाही से अपेक्षित आचरण के मामले में अवरुद्ध हो।

- (8) उपर्युक्त अयोग्यताओं में से किसी एक के उत्पन्न होने या पाये जाने पर कार्यरत सदस्य को तुरन्त पद से हटाया जा सकेगा।

परन्तु उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट किसी कारण से किसी सदस्य को तब तक पद से हटाया नहीं जायेगा जब तक कि वितरण लाइसेन्सधारी के द्वारा जांच करा कर यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि उक्त सदस्य को इस आधार/आधारों पर निकाला जाना चाहिये।

- (9) उपरोक्त उपनियम (2) के अधीन नियुक्त समस्त सदस्यों का बैठक शुल्क (सीटिंग फीस) देय शुल्क, मानदेय और/या अन्य भत्ते (जिन्हें संयुक्त रूप में पारिश्रमिक कहा जाता है) एक समान होंगे और जैसा वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा निहित किया जाय।

- (10) सदस्यों को मंच के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये अपेक्षित कार्यालय स्थल, सचिवीय सहायता तथा अन्य सुविधाएँ वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा प्रदान की जायेंगी।

- (11) उपर्युक्त उप विनियम (9) के पूर्ववर्ती प्रावधानों के होते हुए भी वितरण लाइसेन्सधारी के सेवायोजन में मंच के सदस्य की सेवा शर्तों और निबन्धन ऐसे वितरण लाइसेन्सधारी के अधीन उस सेवा योजक की सेवा शर्तों आदि निबन्धन द्वारा नियंत्रित होंगी।

- (12) मंच की स्थापना व संचालन में वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा किये गये समस्त अति विवेकशील उचित तथा अनुसार स्वीकृत किए जाएंगे।

- (13) मंच उपमोक्ताओं द्वारा लिखित रूप में अग्रसारित अथवा प्रस्तुत की गयी शिकायतों को स्वीकार करेगा तथा शिकायतें दर्ज करने अथवा उन पर विचार करने के लिए किसी विशेष प्रारूप को अपनाने या निर्देशित करने पर दबाव नहीं देगा।

- (14) मंच अपना नियमित कार्यालय वितरण लाइसेन्सधारी के प्रत्येक अंचल में अपने कार्यक्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान पर स्थापित करेगा जहां पर वह शिकायत प्राप्त करेगा। मंच अपनी बैठकें ऐसे प्रमुख कार्यालय तथा वितरण लाइसेन्सधारी के वितरण क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर भी करेगा जैसा कि मंच द्वारा समय—समय पर निश्चित किया जाए अथवा आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्थान जहां से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वितरण लाइसेन्सधारी के कारोबार के प्रमुख स्थान से निकटता तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समय—समय निदेश दिया जाए।

- (15) वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा समय—समय पर मंच के गठन तथा इसके अस्तित्व का प्रचार किया जाएगा। यह उपमोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिलों द्वारा या ऐसी रीति से किया जा सकता है जो आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाए। वितरण लाइसेन्सधारी अपने सभी कार्यालयों पर मंच के सदस्यों तथा सम्बन्धित अधिकारियों के नाम व पदनाम एवं मंच के सदस्यों का पता ई—मेल, दूरभाष नम्बर आदि प्रदर्शित किए जाएंगे तथा सम्यक् रूप से इनका प्रचार किया जाएगा, जिसमें उपमोक्ताओं के बिलों द्वारा प्रचार भी शामिल है।

- (16) मंच कार्यालय शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायत की प्राप्ति की स्पष्ट तिथि तथा मंच कार्यालय की मुहर सहित शिकायतकर्ता को अभिस्वीकृति देगा। कोई भी शिकायत शिकायतकर्ता को बिना उसकी पावती की अभिस्वीकृति के बापस नहीं की जायेगी तथा उसका निस्तारण विधिनुसार किया जायेगा।

- (17) मंच द्वारा समय—समय पर ग्राप्त सभी शिकायतों के अभिलेखों के सत्य एवम् सही अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाएगा तथा ऐसे अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा जैसा समय—समय पर आयोग द्वारा अपेक्षित हो।

- (18) मंच ग्राप्त शिकायतों पर यथाशीघ निर्णय लेगा और शिकायत ग्राप्त होने के अधिकतम 60 दिन के भीतर अपने निर्णय से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। मंच द्वारा अपने निर्णयों के सर्वथन में कारण भी बताने होंगे।

- (19) यदि किसी मामले की सुनवाई में कोई सदस्य दूसरे सदस्यों के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह कारणों सहित अपनी असहमति की टिप्पणी अंकित कर सकता है लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे सदस्यों के बहुमत से लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

- (20) मंच के समस्त निर्णय अधिनियम, नियम एवं उनके अधीन बनाए गये विनियमों के प्राविधानों एवं आयोग द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप होंगे।

- (21) कार्यवाही पूर्ण होने पर, यदि मंच का समाधान हो जाता है कि शिकायत में दिया गया कोई आरोप सही है तो वह वितरण लाइसेन्सधारी को समयबद्ध तरीके से निमांकित में से एक या अधिक कार्य करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा।

- (क) आवेदक को उसके द्वारा किया गया अनुचित भुगतान वापस करें।
- (ख) मंच द्वारा अधिनिर्णित राशि का आवेदक को मुआवजे के रूप में भुगतान करे, तथापि किसी भी दशा में कोई भी उपभोक्ता किसी अप्रत्यक्ष, पारिणामिक, प्रासंगिक, दण्डात्मक या निर्देशनात्मक क्षति, लाभ अथवा अवसर की क्षति का हकदार नहीं होगा चाहे वह किसी संविदा, अपकृत्य आश्वासन (वारंटी), कठोर दायित्व या कोई अन्य कानूनी सिद्धान्त द्वारा उत्पन्न हुआ हो।
- (ग) प्रश्नगत समस्या के कारण का निवारण करें।
- (घ) नियत अवधि में आदेशों का अनुपालन करें।
- (ण) इस विनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर अनुपालन (कम्प्लायन्स) रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- (च) व्यक्तित्व को समय सीमा के साथ उन बातों तथा उनकी समय सीमा से अवगत कराये जो आदेश के अनुपालन के लिये उससे अपेक्षित हैं।
- (छ) अन्य कोई आदेश जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित समझा जाए।
- (22) लाइसेन्सधारी अथवा शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित अथवा मौखिक सुझावों को विचारोपरान्त मंच अपने निर्णय के समर्थन में कारण देते हुए स्पष्ट आदेश पारित करेंगा। प्रत्येक आदेश पर उन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे जो मामले का निर्णय कर रहे हैं।
- (23) मंच द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षों को तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (24) मंच का आदेश व्यक्ति व्यक्ति तथा वितरण लाइसेन्सधारी दोनों के लिए बाध्य होगा।
- (25) वितरण लाइसेन्सधारी तथा आवेदक दोनों ही आदेश में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर तत्परता से आदेश का अनुपालन करेंगे तथा आदेश के कार्यान्वयन के अनुपालन की सूचना सात दिनों के अन्दर में सूचना मंच को देंगे। आदेशों के अनुपालन में मंच द्वारा अपने आदेश में दी गई समय सीमा से अधिक समय लगने पर वितरण लाइसेन्सधारी अथवा आवेदक, यथास्थिति नियत दिनांक से 7 दिन के अन्दर देरी का कारण स्पष्ट करते हुए सम्भावित दिनांक अवगत करायेगा जिस दिनांक तक आदेश का अनुपालन कर दिया जायेगा।
- (26) वितरण लाइसेन्सधारी द्वारा आदेश के अनुपालन में, विलम्ब या अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर, हुई देरी पर, यदि मंच उचित समझे तो, यथोचित कार्यवाही कर सकता है।
- (27) किसी भी पक्ष द्वारा मंच के आदेशों का अनुपालन न किया जाना इन विनियमों का उल्लंघन होगा तथा विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 142 एवं 46 सपष्टित धारा 149 के अधीन उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
- (28) यदि कोई व्यक्ति मंच के आदेश अथवा किसी पक्ष द्वारा उसका कार्यान्वयन न किए जाने अथवा अन्य द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में उसकी शिकायत का निराकरण न किए जाने के कारण व्यक्ति व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त लोकपाल (ओम्बड़्समैन) को ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से अपील दायर कर सकता है जैसा आयोग दारा बनाई गई विनियम में निर्धारित किया जाए।
- (29) आयोग के पास मंच के निरीक्षण तथा नियंत्रण के सामान्य सभी अधिकार होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग मंच/लाइसेन्सधारी से कोई भी अभिलेख मांग सकता है तथा उस पर समुचित आदेश पारित कर सकता है। मंच/लाइसेन्सधारी आयोग द्वारा ऐसे पारित निर्देशों को सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाएगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

अध्याय 3—सामान्य

4. व्यावृत्ति :

इस विनियम की कोई भी बात तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (1986 का 68) भी शामिल है के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

5. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति :
यदि इस विनियम के किन्हीं उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग अपने साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा, वितरण लाइसेन्सधारी, मंच को उचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है जो विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत न हों, और आयोग को कठिनाइयाँ दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक अथवा समीचीन लगती हों।
6. संशोधन करने की शक्ति :
आयोग किसी भी समय इस विनियम के किसी भी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन या रूपान्तरण कर सकता है।
7. अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति :
 - (1) व्यथित व्यक्ति और वितरण लाइसेन्सधारी शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये आदेशों, निर्णयों, निर्देशों तथा उनके समर्थन में दिए गये कारणों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
 - (2) मंच द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने तथा शुल्क का मुगतान करने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति मंच के दस्तावेज या आदेशों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।
8. आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना :
 - (1) मंच प्रत्येक तिमाही में प्राप्त, निपटाई गयी और लम्बित शिकायतों की संख्या तथा उनके लम्बित रहने के कारण की रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर आयोग को प्रस्तुत करेगा।
 - (2) मंच प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक आयोग को एक टिप्पणी प्रस्तुत करेगा जिसमें गत वित्तीय वर्ष में किये अपने सभी कार्यालयों में कार्य कलापों की सामान्य समीक्षा होगी तथा ऐसी सूचना जो आयोग को अपेक्षित हो, प्रदान करेगा।
9. आदेश का जारी होना व कार्यान्वयन पद्धति सम्बन्धी निर्देश :
इन विनियमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर आदेश जारी कर सकता है तथा कार्यान्वयन पद्धति के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है।